[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2019 का विधेयक संख्यांक 26

[दि इन्सोलवैंसी एंड बैंकरपट्सी कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिंदी अनुवाद]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 5 का संशोधन ।

2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 के खंड (26) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 2016 का 31

"**स्पष्टीकरण**--शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी समाधान योजना में निगमित ऋणी की पुन: संरचना के लिए उपबंध सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके अंतर्गत विलयन, समामेलन और निर्विलयन के माध्यम से समाधान भी है ;"।

धारा 7 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने व्यतिक्रम की विद्यमानता को अभिनिश्चित नहीं किया है और ऐसे समय के भीतर धारा 5 के अधीन कोई आदेश पारित कर दिया है तो वह ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा ।"।

धारा 12 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया को दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से तीन सौ पैसठ दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस धारा के अधीन निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए मंजूर किया गया अवधि का कोई विस्तार और निगमित ऋणी की ऐसी समाधान प्रक्रिया के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में लगने वाला समय भी है :

परंतु यह भी कि जहां किसी निगमित ऋणी की दिवाला समाधान प्रक्रिया लंबित है और उसे दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया है, वहां ऐसी समाधान प्रक्रिया को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।"।

धारा 25क का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 25क की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3क) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा 21 की उपधारा (6क) के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि ऐसे सभी वित्तीय लेनदारों, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, की ओर से, ऐसे वित्तीय लेनदारों के, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने अपना मत डाला है, मतदान शेयर के पचास प्रतिशत से अधिक के मत द्वारा लिए गए विनिश्चय के अनुसार अपना मत डालेगा :

परंतु धारा 12क के अधीन किसी आवेदन के संबंध में मत डालने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार अपना मत डालेगा ।"।

धारा 30 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 30 में,—

(क) उपधारा (2) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) प्रचालन लेनदारों के ऋणों के संदाय के लिए ऐसी रीति में उपबंध करती है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और जो,—

(i) धारा 53 के अधीन निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में ऐसे लेनदारों को संदत्त की जाने वाली रकम से ; या

(ii) ऐसी रकम से, जो ऐसे लेनदारों को उस समय संदत्त की गई होती, यदि समाधान योजना के अधीन वितरित की जाने वाली रकम को धारा 53 की उपधारा (1) में पूर्विकता के अनुक्रम के अनुसार वितरित किया गया होता,

इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगी और ऐसे वित्तीय लेनदारों के, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, ऋणों के संदाय के लिए, ऐसी रीति में उपबंध करती है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जो निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में धारा 53 की उपधारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को संदत्त की जाने वाली रकम से कम नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण I—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के उपबंधों के अनुसार किया गया कोई वितरण ऐसे लेनदारों के लिए न्यायोचित और साम्यापूर्ण होगा >

स्पष्टीकरण II—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से ही इस खंड के उपबंध किसी निगमित ऋणी की निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया को भी वहां लागू होंगे,—

(i) जहां किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है या उसे नामंजूर कर दिया गया है ;

(ii) जहां धारा 61 या धारा 62 के अधीन कोई अपील की गई है या ऐसी कोई अपील तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के अधीन समय द्वारा वर्जित नहीं है ; या

(iii) जहां किसी समाधान योजना के संबंध में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई विधिक कार्यवाही आरंभ की गई है ;";

(ख) उपधारा (4) में, "उसकी साध्यता और व्यवहार्यता तथा" शब्दों के स्थान पर "उसकी साध्यता और व्यवहार्यता, प्रस्तावित वितरण की रीति, जिसका निर्धारण करते हुए धारा 53 की उपधारा (1) में यथा अधिकथित रूप से लेनदारों के बीच पूर्विकता, जिसके अंतर्गत किसी सुरक्षित लेनदार के प्रतिभूति हित की पूर्विकता और मूल्य भी है, के अनुक्रम को ध्यान में रख सकेगा तथा" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 31 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) में, "सदस्यों, लेनदारों," शब्दों के पश्चात् "पर, जिनके अंतर्गत केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार या ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी भी है, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उदभूत होने वाले शोध्यों के संदाय के संबंध में ऐसे प्राधिकारी के रूप में कोई ऋण देय हैं, जिनको कानूनी शोध्य देय होते हैं," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 33 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह घोषणा की जाती है कि लेनदारों की समिति, धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन उसके गठन के पश्चात् और समाधान योजना के पुष्टिकरण से पूर्व किसी भी समय, जिसके अंतर्गत सूचना ज्ञापन तैयार करने से पूर्व का कोई समय भी है, निगमित ऋणी का परिसमापन करने का विनिश्चय कर सकेगी ।"। 5

धारा 240 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 240 की उपधारा (2) के खंड (ब) में, "प्रचालन लेनदारों के ऋणों का प्रतिसंदाय करने की रीति" शब्दों के स्थान पर "ऋणों का संदाय करने की रीति" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) को, निगमित व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यष्टियों के पुन: संगठन और दिवाला समाधान से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के विचार से और ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य को एक समयबद्ध रीति में अधिकतम बनाने और उद्यमशीलता का संवर्धन करने, क्रेडिट की उपलब्धता में अभिवृद्धि करने और सभी पणधारियों के हितों को संतुलित करने, जिसके अंतर्गत सरकारी शोध्यों के संदायों के अनुक्रम या पूर्विकता में परिवर्तन करना भी है और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. संहिता की उद्देशिका संहिता के उद्देश्यों को अधिकथित करती है, जिससे उसके अंतर्गत सभी पणधारियों के हितों को संतुलित करने और आस्तियों के मूल्य को एक समयबद्ध रीति में अधिकतम बनाने के लिए "दिवाला समाधान" भी है । इस बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि कुछ मामलों में गहन मुकदमेबाजी असम्यक् विलंब उत्पन्न कर रही है, जो मूल्य को अधिकतम करने की रीति को बाधित कर सकता है । यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी लेनदारों के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाता है और ऐसा न्यायनिर्णयन प्राधिकरण पर असम्यक् रूप से बोझ को बढ़ाए बिना किया जाता है, जिसकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि समाधान योजना संहिता के उपबंधों का अनुपालन करती है । विभिन्न पणधारियों ने यह सुझाव दिया है कि यदि सभी लेनदारों को समान स्तर पर रखा जाता है, विशेषकर जब उनकी दिवालापूर्व हकदारियां भिन्न-भिन्न हों, तो यह लागत और क्रेडिट की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा । इसके अतिरिक्त, इस बारे में भी मत अभिप्राप्त किए गए हैं, जिससे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाले वित्तीय लेनदारों की मतदान पद्धति के संबंध में स्पष्टता लाई जा सके ।

3. पूर्वोक्त कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए और निगम दिवाला ढांचे में गंभीर कमियों को दूर करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के कतिपय उपबंधों का संशोधन किया जाए । दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :—

(क) संहिता की धारा 5 के खंड (26) का संशोधन करने, जिससे "समाधान योजना" की परिभाषा में एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करके यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी निगमित ऋणी के दिवाला समाधान को प्रस्तावित करने वाली किसी समाधान योजना में एक गोईंग कंसर्न के रूप में निगम पुन: संरचना के लिए उपबंध सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके अंतर्गत विलयन, समामेलन और निर्विलयन के माध्यम से समाधान भी है, जिससे बाजार को मूल्य को अधिकतम करने के हित में क्रियाशील समाधान योजनाओं को आगे लाने में समर्थ बनाया जा सके ;

(ख) संहिता की धारा 7 की उपधारा (4) का संशोधन करने, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि किसी आवेदन को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा चौदह दिन के भीतर स्वीकार नहीं किया जाता है या नामंजूर कर दिया जाता है तो वह उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा ;

(ग) संहिता की धारा 12 की उपधारा (3) का संशोधन करने, जिससे यह आज्ञापक बनाया जा सके कि किसी निगमित ऋणी की दिवाला समाधान प्रक्रिया, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिन से आगे और विस्तारित नहीं की जाएगी, जिस अवधि में निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने में असम्यक् विलंबों को दूर करने के लिए विधिक कार्यवाहियों में लगने वाला समय भी सम्मिलित होगा । तथापि, यदि विधिक कार्यवाहियों में लगने वाले समय को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया को तीन सौ पैंसठ दिन की उक्त अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निगमित ऋणी का परिसमापन करने की अपेक्षा करने वाला आदेश पारित किया जाएगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने हेतु लगने वाले समय में विधिक कार्यवाहियों में लगने वाला समय भी सम्मिलित होगा ;

(घ) संहिता की धारा 25क में एक नई उपधारा (3क) अंत:स्थापित करने, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि लेनदारों की समिति में विनिश्चय लिए जाने को सुकर बनाने, विशेषकर उस समय जब वित्तीय लेनदार अधिक संख्या में हैं और वे एक विषम प्रकृति का समूह हैं, के लिए धारा 21 की उपधारा (6क) के अधीन कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि, ऐसे सभी वित्तीय लेनदारों, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, की ओर से, ऐसे वित्तीय लेनदारों के, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने अपना मत डाला है, मतदान शेयर के पचास प्रतिशत से अधिक के मत द्वारा लिए गए विनिश्चय के अनुसार अपना मत डालेगा ;

(ङ) संहिता की धारा 30 की उपधारा (2) का संशोधन करने, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि,—

(i) प्रचालन लेनदार ऐसी रकम प्राप्त करेंगे, जो उनके ऋण के परिसमापन मूल्य से या ऐसी रकम से कम नहीं होगी, जो ऐसे लेनदारों को उस समय संदत्त की गई होती, यदि समाधान योजना के अधीन वितरित की जाने वाली रकम को धारा 53 में पूर्विकता के अनुक्रम के अनुसार वितरित किया गया होता, इनमें से जो भी अधिक हो ;

(ii) ऐसे वित्तीय लेनदार, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, ऐसी रकम प्राप्त करेंगे, जो उनके ऋण के परिसमापन मूल्य से कम नहीं है ;

(iii) ये उपबंध किसी निगमित ऋणी की निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया को वहां लागू होंगे,—

(अ) जहां किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है या उसे नामंजूर कर दिया है ; या

(आ) जहां धारा 61 या धारा 62 के अधीन कोर्इ अपील की गई है या ऐसी कोई अपील तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के अधीन समय द्वारा वर्जित नहीं है ; या

(इ) जहां किसी समाधान योजना के संबंध में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई विधिक कार्यवाही आरंभ की गई है ;

(च) संहिता की धारा 31 की उपधारा (1) का संशोधन करने, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या ऐसे किसी स्थानीय प्राधिकारी पर भी बाध्यकारी होगी, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उदभूत होने वाले शोध्यों के संदाय के संबंध में, ऐसे प्राधिकारी के रूप में, कोई ऋण देय हैं, जिनके अंतर्गत कर प्राधिकारी भी हैं, जिन्हें कानूनी शोध्य देय होते हैं ;

(छ) संहिता की धारा 33 की उपधारा (2) का संशोधन करने, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि लेनदारों की समिति, धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन उसके गठन के पश्चात् और समाधान योजना के पुष्टिकरण से पूर्व किसी भी समय, जिसके अंतर्गत सूचना ज्ञापन तैयार करने से पूर्व का कोई समय भी है, धारा 33 की उपधारा (2) में उपबंधित अपेक्षाओं के अनुसार निगमित ऋणी का परिसमापन करने का विनिश्चय कर सकेगी ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
19 जुलाई, 2019

निर्मला सीतारमण

वित्तीय ज्ञापन

यदि विधेयक को अधिनियमित किया जाता है तो उसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती किसी भी किस्म का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

संहिता की धारा 30 का संशोधन करने से संबंधित विधेयक का खंड 6 बोर्ड को ऋणों के संदाय की रीति विनिर्दिष्ट करने हेतु विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

2. वे विषय, जिनके संबंध में ऊपर उल्लिखित विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों से संबंधित विषय हैं और इसलिए स्वयं प्रस्तावित विधेयक में उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 31) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं ।

5. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(26) "समाधान योजना" से भाग 2 के अनुसार किसी चालू समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के दिवाला समाधान के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित योजना अभिप्रेत है;

* * * * *

वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ ।

7. (1) * * * *

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर या सूचना उपयोगिता के अभिलेखों से या उपधारा (3) के अधीन वित्तीय लेनदार के द्वारा दिए गए अन्य साक्ष्य के आधार पर किसी व्यतिक्रम की विद्यमानता को अभिनिश्चित करेगा ।

* * * * *

दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूर्ण किए जाने के लिए समय सीमा ।

12. (1) * * * *

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि मामले की विषयवस्तु ऐसी है कि कोई निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया एक सौ अस्सी दिन के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह आदेश द्वारा ऐसी प्रक्रिया की अवधि को एक सौ अस्सी दिन से परे ऐसी और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा जो नब्बे दिन से अधिक नहीं होगी :

परन्तु इस धारा के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का कोई विस्तार एक बारे से अधिक प्रदान नहीं किया जाएगा ।

* * * * *

समाधान योजना को प्रस्तुत करना ।

30. (1) * * * *

(2) समाधान वृत्तिक उसको प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की परीक्षा यह पुष्टि करने के लिए करेगा कि प्रत्येक समाधान योजना—

* * * * *

(ख) प्रचालन लेनदारों के ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए ऐसी रीति में उपबंध करती है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जो धारा 53 के अधीन निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में प्रचालन लेनदारों को संदत्त की जाने वाली रकम से कम नहीं होगा;

* * * * *

(4) लेनदारों की समिति, किसी समाधान योजना का, उसकी साध्यता और व्यवहार्यता तथा

ऐसी अन्य अपेक्षाओं पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, विचार करने के पश्चात् वित्तीय लेनदारों के मत के भाग के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत मत द्वारा अनुमोदन कर सकेगी :

2017 का अध्यादेश 7

परन्तु लेनदारों की समिति, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के प्रारंभ से पहले प्रस्तुत की गई किसी समाधान योजना का वहां अनुमोदन नहीं करेगी, जहां समाधान आवेदक धारा 29क के अधीन अपात्र है और जहां उसके पास कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है, वहां समाधान वृत्तिक से, नए सिरे से, समाधान योजना आमंत्रित करने की अपेक्षा कर सकेगी :

परन्तु यह और कि जहां पहले परन्तुक में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा 29क के खंड (ग) के अधीन अपात्र है वहां लेनदारों की समिति द्वारा, समाधान आवेदक को धारा 29क के खंड (ग) के परन्तुक के अनुसार अतिशोध्य रकमों का संदाय करने के लिए ऐसी अवधि अनुज्ञात की जाएगी जो तीस दिन से अधिक की नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि दूसरे परन्तुक की किसी बात का अर्थ धारा 12 की उपधारा (3) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विस्तारित अवधि के रूप में नहीं लगाया जाएगा और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर की जाएगी :

2018 का अध्यादेश 6

परंतु यह भी कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 द्वारा यथा संशोधित धारा 29क में उपबंधित पात्रता उपबंध ऐसे समाधान आवेदक को लागू होंगे, जिसने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारंभ की तारीख को समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है ।

* * * * *

समाधान योजना का अनुमोदन ।

31. (1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा यथा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है तो वह आदेश द्वारा समाधान योजना को अनुमोदित कर देगा जो निगमित ऋणी और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, प्रतिभूतिदाताओं और समाधान योजना में सम्मिलित अन्य पणधारियों पर बाध्यकारी होगी :

परंतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, इस उपधारा के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन का आदेश पारित किए जाने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करेगा कि समाधान योजना में उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपबंध सम्मिलित हैं ।

* * * * *

अध्याय 3

परिसमापन प्रक्रिया

परिसमापन का आरंभ ।

33. (1) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी,—

* * * * *

(2) जहां समाधान वृत्तिक, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किंतु समाधान योजना की पुष्टि से पूर्व किसी समय निगमित ऋणी के परिसमापन के लिए लेनदारों की समिति के विनिश्चय को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सूचित करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के खंड (ख) के (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में यथानिर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा ।

* * * * *

विनियम बनाने की शक्ति ।

240. (1) * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किन्हीं के संबंध में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

(ब) धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों का संदाय करने की रीति, खंड (ख) के अधीन प्रचालन लेनदारों के ऋणों का प्रतिसंदाय करने की रीति और अन्य अपेक्षाएं जिनके अनुरूप समाधान योजना खंड (घ) के अधीन होगी;

* * * * *

MGIPMRND—1897RS(CRC)—22-7-2019.